यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला समाज कल्याण अधिकारी, बागेश्वर द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गई है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, बागेश्वर के माह मार्च 2018 से जनवरी 2019 तक के लेखा अभिलेखो की जांच श्री भानु प्रताप सिंह , सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं अनूप चौहान , सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 14.02.2019 से 21.02.2019 तक श्री ए. सी. कटियार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में संपादित किया गया।

भाग-1

1. परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री सुनील दत्त जोशी , सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री रवि पाठक , सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 12.03.2018 से 22.03.2018 तक श्री राम सनेही , लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में संपादित की गयी थी जिसमें माह 12/2016 से 02/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 03/2018 से 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः इकाई द्वारा जनपद के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं समाज के कमजोर वर्ग आदि के उत्थान के लिए विभिन्न पेंशन योजनाओं, छात्रवृत्ति, शादी अनुदान एवं अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास आदि योजनाओं के माध्यम से कार्य किया जाना है। इसका भौगोलिक अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण बागेश्वर जनपद है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		बचत /आधिक्य
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	बचत/आधिक्य	आवंटन	व्यय	
2016-17	-	-	112.77	103.27	9.5	2650.72	2585.80	91.92
2017-18	-	-	119.45	115.21	4.24	2783.35	2763.74	19.61
2018-19 (up to 01/2019)	-	-	136.47	103.80	32.67	2670.01	2228.24	441.77

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि ` लाख में)

योजना का नाम	2016-17		2017-18		2018-19	
	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय
अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति	102.93	84.47	77.19	64.77	48.06	9.94
अनुसूचित जन जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति	2.81	0.84	1.98	1.67	1.90	0.00
अन्य पिछड़ा वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति	7.56	3.47	3.86	1.73	2.67	0.00
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन	257.58	257.58	254.39	254.39	105.59	105.38
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन	2.23	2.23	1.70	1.70	0.93	0.86
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना	29.60	29.60	15.60	15.60	19.40	19.40
अत्याचार उत्पीड़न	0.00	0.00	12.375	12.375	3.20	3.20
सामान्य वर्ग के लिए अंबेडकर छा.	0.00	0.00	1.46	0.00	1.46	0.00

(iii) इकाई को बजट आवंटन भारत सरकार एवं निदेशक समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई (ब) श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखंड शासन →निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखंड शासन→जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी।

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में जिला समाज कल्याण अधिकारी, बागेश्वर को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला समाज कल्याण अधिकारी, बागेश्वर की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 07/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। वृद्धावस्था पेंशन, अटल आवास योजना, अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना, शादी विवाह अनुदान एवं अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजनाओं का विश्लेषण किया गया। योजनाओं का चयन किये गए व्यय के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (DPC Act, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1 विभिन्न योजनाओं से संबन्धित विगत वर्षों की अवशेष धनराशि ` 56.75 लाख को बैंक खातों में अनियमित रूप से अवरुद्ध रखा जाना।

कार्यालय ज़िला समाज कल्याण अधिकारी, बागेश्वर के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि समान्यतः इकाई स्तर पर गौरादेवी कन्याधन योजना, विधवा पेंशन तथा रा. सा. सा. कार्यक्रम, विकलांग पेंशन एवं छात्रवृत्ति योजना आदि के लाभार्थियों को धनराशि उनके बैंक खाते में कोषागार से सीधे ऑनलाइन अंतरित की जाती है परंतु कुछ संबन्धित लाभार्थियों के बैंक खाते निष्क्रिय होने अथवा आधार से लिंक न होने के कारण उक्त वापस आई धनराशि को इकाई स्तर पर संचालित पाँच बैंक खातों में जमा किया जा रहा था जिसको आपत्ति का निराकरण होने के पश्चात पुनः संबन्धित लाभार्थियो के बैंक खातों में स्थांतरित किया जा रहा था।

लेखापरीक्षा के दौरान आगे यह पाया गया कि इकाई स्तर पर संचालित किए जा रहे पाँच बैंक खातों में जनवरी 2019 के अंत में `56.75 लाख की ऐसी धनराशि जोकि छात्रवृति योजना, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, अवस्थापना सुविधाओं का विकास आदि योजनाओं की विगत वर्षों की अवशेष राशि पड़ी थी। जिसको कार्यालय स्तर पर विभागीय प्राप्ति लेखा शीर्ष में जमा किया जाना था परंतु इकाई द्वारा उक्त धनराशि को विभागीय प्राप्ति लेखा शीर्ष में जमा न करके विभिन्न बैंक खातों में अवरुद्ध रखा गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर ज़िला समाज कल्याण अधिकारी, बागेश्वर द्वारा अपने उत्तर में अवगत कराया गया कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात मृत लाभार्थियों के संबंध में वापस प्राप्त धनराशि तथा ट्रेजरी ट्रांजेक्सन फेल हो जाने के कारण वापस प्राप्त धनराशि पृथक-पृथक अभिलिखित किया जाएगा जिससे कि जो राशि मृतक लाभार्थियों के संबंध में वापस प्राप्त हुई है उसको अविलंब विभागीय प्राप्ति लेखा शीर्ष में जमा किया जा सके।

इकाई का उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि इकाई स्तर पर विभागीय शिथिलतावश ऐसा नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप इकाई स्तर पर संचालित किए जा रहे पाँच बैंक खातों में जनवरी 2019 के अंत में विगत वर्षों की आवशेष पड़ी `56.75 लाख की धनराशि को विभागीय प्राप्ति लेखा शीर्ष में जमा नहीं किया गया था ।

अतः कार्यालय ज़िला समाज कल्याण अधिकारी, बागेश्वर स्तर पर विभिन्न योजनाओं से संबन्धित `56.75 लाख की विगत वर्षों की अवशेष राशि के बैंक खातों में अनियमित रूप से अवरुद्ध रहने संबंधी प्रकरण को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-2: वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत 21.53 लाख का परिहार्य व्यय ।

वृद्धावस्था पेंशन विस्तार एवं प्रक्रिया सरलीकरण के लिए जारी उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या 1547/36-4-दिनांक 30 मार्च 1990 के अनुसार ऐसे मामले जहाँ पति / पत्नी दोनों पात्र है वहाँ नए प्रकरणो में पति- पत्नी में से केवल एक को ही वृद्धावस्था पेनशन अनुमान्य की जाय और ऐसे मामलों में महिला सदस्यों को प्राथमिकता दी जाय । साथ ही उत्तराखंड शासनादेश के शासनादेश संख्या 883/ XVII-2/16-01(02)/2010 दिनांक 17 जून 2016 के अनुसार एक परिवार में पति- पत्नी में से केवल एक ही व्यक्ति को पेंशन का लाभ मिलेगा किन्तु प्राथमिकता महिला लाभार्थी को प्रदान की जाएगी । वृद्धावस्था पेंशन की दरें समय-समय पर बदलती भी रही है।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, बागेश्वर के कपकोट ब्लॉक के वृद्धावस्था पेंशन से संबन्धित अभिलेखो की नमूना जांच में पाया गया कि उक्त शासनादेश के विपरीत 101 मामलों में पति- पत्नी दोनों को पेंशन प्रदान की गयी थी जो वर्तमान तक जारी थी (विवरण संलग्न)। आदेशो का पालन न किए जाने से शासन को रुपये 21.53 लाख परिहार्य व्यय का वित्तीय भार वहन करना पड़ा ।

उक्त के संबंध में लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा आडिट आपत्ति स्वीकार करते हुए अवगत कराया कि जिन दोनों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जा रही है उनमें से केवल पत्नी को ही पेंशन जारी रखना सुनिश्चित किया जाएगा। इकाई के उत्तर से लेखा परीक्षा मत की स्वयमेव पुष्टि होती है।

अतः वृद्धावस्था पेंशन मद में अपात्र लाभार्थी को पेंशन स्वीकृत किए जाने के कारण ₹ 21.53 लाख के परिहार्य व्यय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर -3- : पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत 48 लाभार्थियों को ₹ 9.60 लाख का अनियमित भुगतान।

The assistance under the National Family Benefit Scheme (NFBS) of NSAP is applicable only for persons belonging to Below Poverty Line (BPL) category. Rs. 20000/- will be given as one time assistance to the bereaved household in the event of death of the bread-winner. A woman in the family, who is a home maker, is also considered as a „bread-winner" for this purpose. The family benefit will be paid to such surviving member of the household of the deceased poor, who after local enquiry, is found to be the head of the household. For the purpose of the scheme, the term "household" would include spouse, minor children, unmarried daughters and dependent parents. In case of death of an unmarried adult, the term household would include minor brothers/ sisters and dependent parents. The death of such a bread-winner should have occurred whilst he/she is more than 18 years of age and less than 60 years of age.

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, बागेश्वर की वर्ष 2018 -19 की राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से संबन्धित पत्रावलियों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि निम्न विवरण के अनुसार 48 लाभार्थियों (सूची संलग्न) के BPL श्रेणी में न होने के बावजूद भी उनको योजना का लाभ प्रदान किया गया था जो नियमानुसार नही था।

उक्त के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करते हुए अवगत कराया कि शासनादेश में आय के आधार पर उक्त योजना का लभा दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है तथा उच्चाधिकारियों से दिशा निर्देश प्राप्त कर भविष्य में उक्त योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को लाभांवित किया जायेगा। इकाई का उत्तर मान्य नही है क्योकि कार्यालय द्वारा लाभार्थी की पात्रता सुनिश्चित किये जाने से पूर्व ही योजना के अन्तर्गत लाभ प्रदान कर दिया गया था जो अनियमित था।

अतः पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत 48 लाभार्थियों को ₹ 9.60 लाख का अनियमित भुगतान किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-1 अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना के अंतर्गत 09 आवेदनकर्ताओं को ` 4.50 लाख की धनराशि का स्वीकृत कराया जाना।

समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना के अंतर्गत अंत्योदय कार्ड धारक, बी पी एल विधवा कार्ड धारक, बी पी एल आवेदनकर्ता एवं अन्य पात्र लाभार्थियों को ` 50,000/- की एकमुस्त सहायता लाभार्थियों के बैंक खाते में ऑनलाइन प्रदान की जाती है। उक्त योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष की 01 मार्च से 28 एवं 29 फरवरी तक की शादी विवाह से संबन्धित आवेदन स्वीकृत किए जाने थे तथा प्रत्येक आवेदक द्वारा मार्च माह के प्रथम सप्ताह तक शादी का प्रमाण पत्र संबन्धित ज़िला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा तत्पश्चात भुगतान की कार्यवाही माह मार्च में प्रारम्भ की जाएगी। यदि आवेदक शादी का प्रमाण-पत्र संबन्धित ज़िला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में मार्च माह के प्रथम सप्ताह तक जमा नहीं करवाता तो आवेदक को उक्त अनुदान का भुगतान नहीं किया जाना था एवं इस दशा में आवेदक का आवेदन-पत्र स्वतः निरस्त मान लिया जाना था।

कार्यालय ज़िला समाज कल्याण अधिकारी,बागेश्वर के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि उक्त योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान जनपद स्तर पर उक्त वित्तीय वर्ष में उपलब्ध कुल बजट ` 99.00 लाख के सापेक्ष 198 लाभार्थियों को ही प्रति लाभार्थी ` 50,000/- की दर से लाभान्वित किए जाने के संबंध में जिलाधिकारी,बागेश्वर द्वारा माह सितंबर 2017 में अनुमोदन प्रदान किया गया। संप्रेक्षा के दौरान यह भी पाया गया कि संप्रेक्षा तिथि (जनवरी 2019) तक स्वीकृत 189 लाभार्थियों को ` 94.50 लाख की धनराशि से लाभान्वित भी किया जा चुका था जबकि 09 लाभार्थियों द्वारा संप्रेक्षा तिथि (जनवरी 2019) तक भी ज़िला समाज कल्याण अधिकारी, बागेश्वर को विवाह प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि उक्त आवेदकों द्वारा वास्तव में शादी की भी गई अथवा नहीं। जिसके परिणामस्वरूप ` 4.50 लाख की धनराशि अवरुद्ध थी। जिससे स्पष्ट है कि 09 आवेदकों के आवेदनयोजना के दिशा-निर्देशों के विपरीत कार्यालय स्तर पर स्वीकृत कराये गए थे।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में अवगत कराया गया कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात भविष्य में जिन आवेदकों के विवाह प्रमाण-पत्र मार्च माह के प्रथम सप्ताह में प्राप्त हो जाएंगे उन्ही को योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कार्यालय ज़िला समाज कल्याण अधिकारी,बागेश्वर स्तर से ऐसे 09 आवेदन-पत्रों को जिनके संबंध में विवाह प्रमाण-पत्र निर्धारित समय-सीमा (मार्च-2018) तक प्राप्त न होने के बावजूद भी निरस्त न करते हुए योजना के दिशा-निर्देशों के विपरीत ` 4.50 लाख की धनराशि स्वीकृत कराई गई।

अतः अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना के अंतर्गत 09 आवेदनकर्ताओं को ` 4.50 लाख की धनराशि अनियमित रूप से स्वीकृत कराये जाने संबंधी प्रकरण को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत लेखापरीक्षा के अनिस्तारित पस्तरों का विवरण निम्नवत है:

प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो (अ) प्रस्तर	भाग-दो (ब) प्रस्तर	प्रतिपूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
22/2007-08	शून्य	01,02,03,04,05,06	शून्य
16/2008-09	शून्य	01, 02, 03,04	शून्य
89/2012-13	शून्य	01,02,03	शून्य
110/2014-15	शून्य	01, 02, 03,04	शून्य
129/2016-17	शून्य	01,02,03	01

विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल टिप्पणी	अभ्युक्ति
222/2017-18	01	प्रस्तुत	निस्तारित करने की संस्तुति की गई है।	निस्तारित
वर्ष 2007-08 से 2016-17 के लंबित प्रस्तरों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में इकाई द्वारा बताया गया कि अनुपालन आख्या शीघ्र ही तैयार कर उचित माध्यम से कार्यालय प्रधान महालेखाकर (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित की जायेगी।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

..................शून्य.................

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु जिला समाज कल्याण अधिकारी, बागेश्वर तथा उनके कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. **सतत् अनियमितताएः** शून्य
3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री एन एस गस्याल	जिला समाज कल्याण अधिकारी	03/18 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **जिला समाज कल्याण अधिकारी, बागेश्वर** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप महालेखाकार (सामाजकि क्षेत्र) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकर भवन, कौलगढ़, देहरादून** को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.